

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उप निदेशक (नि0), सहरसा,
जिला नियोजनालय, सिवान एवं गोपालगंज,
वि0वि0नि0सु0एवं मा0 केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बोध गया एवं भागलपुर।

पटना-01, दिनांक-

विषय:-निदेशालय नियोजन, बिहार पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों को (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्ययक शीर्ष-2230-02-101-0004 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) अंतर्गत बिहार विनियोग अधिनियम-2025 के द्वारा उपबंधित निधि से वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना पत्रांक-235/वि0, दिनांक-01.04.2025, के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष मदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल **₹58,80,938 (रुपये अठावन लाख अस्सी लाख नौ सौ अड़तीस) मात्र** के निधि का आवंटन दिया जा रहा है।

- यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -02-रोजगार सेवायें-101-रोजगार सेवायें-0004-रोजगार कार्यालय की स्थापना विपत्र कोड-26-2230.02.101.0004, माँग संख्या-26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561/ वि0 (2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों/निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित की जा रही राशि में से अधिकतम ₹38,888/- प्रतिमाह की दर से वाहन मासिक रूप से भाड़े पर लिया जा सकेगा। मामले में वित्त विभाग से संबंधित अन्य सभी वांछित निदेश का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- उक्त आवंटित निधि से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि के व्यय विवरणी ससमय निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वेतनादि मद में आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माह के लिए है। आवंटित राशि से पूर्व के बकाया राशि की भी निकासी की जा सकेगी।

P.T.O

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि CFMS के माध्यम से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही राशि की निकासी सुनिश्चित की जाय।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि का व्यय विवरणी एवं लेखा मिलान से संबंधित प्रतिवेदन टी०भी० नम्बर के साथ प्रत्येक माह की पांचवीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय नियोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2/बी०टी०-09/2024- 11

पटना-01, दिनांक- 12/11/2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ उप निदेशक (नियोजन), सहरसा /जिला नियोजनालय, सिवान एवं गोपालगंज/ वि०वि०नि०सु०एवं मा० केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बोध गया एवं भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं बजट/लेखा शाखा, निदेशालय नियोजन/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

MR 2/11/25

L

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

26-2230.02.101.0004 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माह के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु आवंटन विवरणी

क्रम सं०	विस्तृत शीर्ष	01-वेतन					11-यात्रा व्यय		28-व्यवसायिक सेवाएं	कुल योग
	विषय शीर्ष (मद का नाम) एवं कार्यालय का नाम	वेतन-01	जीवन यापन भत्ता -03	मकान किराया भाता -04	परिवहन भत्ता -05	चिकित्सा भत्ता-06	यात्रा व्यय - 01	भाड़े की गाडी का भुगतान-10	संविदा सेवायें-02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जिला नियोजनालय, सिवान						11000			11000
2	उप निदेशक (नि०) , सहरसा								75000	75000
3	वि०वि०नि०सु०एवं मा० केन्द्र, मुजफ्फरपुर	756200	429038	49070	6200	20000		80000		1340508
4	वि०वि०नि०सु०एवंमा० केन्द्र, बोध गया	756200	429038	49070	5750	14000		213884		1467942
5	जिला नियोजनालय, गोपालगंज	756200	429038	49070	5300	14000		233400		1487008
6	वि०वि०नि०सु०एवंमा० केन्द्र, भागलपुर	743400	446040	74340	21700	14000		200000		1499480
	कुल योग	3012000	1733154	221550	38950	62000	11000	727284	75000	5880938

(अठारवन लाख अस्सी हजार नौ सो अड़तीस) मात्र


 निदेशक
 नियोजन एवं प्रशिक्षण
 बिहार, पटना।